संख्या-11/2026/002-644(1)-83-2026/2077063

**प्रेषक,**

मनोज कुमार राय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

**सेवा में,**

निदेशक,
नागरिक सुरक्षा निदेशालय, उ0प्र0,
लखनऊ।

**नागरिक सुरक्षा अनुभाग** **लखनऊः दिनांक 01 सितम्बर, 2026**

**विषयः-** वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान सं०-27 लेखाशीर्षक-2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें- 106-सिविल रक्षा-03 राज्य मुख्यालय स्थापना-0302-भारत सरकार द्वारा आंशिक रूप से प्रतिपूर्ति किये जाने वाला व्यय 25 प्रतिशत के मानक मद 01 वेतन से संभावित बचतों में से समान लेखाशीर्षक के मानक मद 58 आउटसोर्सिंग सेवाओं के भुगतान हेतु पुनर्विनियोग प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

**महोदय,**

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-692/अनु-2/बजट-76/2026, दिनांक 07.08.2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान सं०-27 लेखाशीर्षक-2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-106-सिविल रक्षा-03 राज्य मुख्यालय स्थापना-0302-भारत सरकार द्वारा आंशिक रूप से प्रतिपूर्ति किये जाने वाला व्यय 25 प्रतिशत के मानक मद 01 वेतन से संभावित बचतों में से समान लेखाशीर्षक के मानक मद 58 आउटसोर्सिंग सेवाओं के भुगतान हेतु संलग्न बी०एम०-09 के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से कुल रू० 2,00,00,000/- (रू० दो करोड़ मात्र) व्यय किये जाने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है:-

(1) निदेशक, नागरिक सुरक्षा निदेशालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के प्रस्तर-150, 151 एवं 154 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

(2) पुनर्विनियोग के माध्यम से केवल बजट व्यवस्था के उद्देश्य से धनराशि प्रदान की जा रही है। प्रश्नगत कार्य हेतु धनराशि स्वीकृति किये जाने के विषय में समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुये औचित्य का परीक्षण करने तथा सुसंगत वित्तीय नियमों एवं निर्देशों के अनुरूप धनराशि के उपयोग का सम्पूर्ण दायित्व निदेशक नागरिक सुरक्षा का होगा।

(3) जिस मद से पुनर्विनियोग प्रस्तावित किया गया है, उस मद में वित्तीय वर्ष 2026-27 में पुनः पुनर्विनियोग प्रस्तावित नहीं किया जायेगा।

(4) केन्द्रांश की प्राप्ति के संबंध में निदेशक, नागरिक सुरक्षा, द्वारा कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(5) पुनर्विनियोग के माध्यम से जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की गयी है, उसी मद में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

(6) पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31 मार्च, 2027 तक सुनिश्चित कर लिया जाय।

(7) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28.03.2026 में दी गयी व्यवस्था एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा ।

3- उक्त पर होने वाला व्यय संलग्न बी०एम०-09 के विवरणानुसार चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में सुसंगत मदों के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग की आर.ई.संख्या– बजट-1-72, दिनांक 21.08.2026 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है ।

**संलग्नक- बी०एम०-09**

भवदीय,

(मनोज कुमार राय)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकादरी) प्रथम/द्वितीय/ऑडिट, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा एवं परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12, उत्तर प्रदेश शासन।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन। (03 प्रतियों में) ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

मनोज कुमार राय
विशेष सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बी०एम०-9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति

(संदर्भ: बजट मैनुअल का प्रस्तर-158)

A083-20262027-001-644-83-2026

**विषय:-** वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान सं०-27 लेखाशीर्षक-2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-106-सिविल रक्षा-03 राज्य मुख्यालय स्थापना-0302-भारत सरकार द्वारा आंशिक रूप से प्रतिपूर्ति किये जाने वाला व्यय 25 प्रतिशत के मानक मद 01 वेतन से संभावित बचतों में से समान लेखाशीर्षक के मानक मद 58 आउटसोर्सिंग सेवाओं के भुगतान हेतु पुनर्विनियोग प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

(धनराशि लाख रूपये में)

| निम्नलिखित से प्रस्तावित संक्रमण | | | | वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा | |
|---|---|---|---|---|---|
| लेखा शीर्षक | आवेदन पत्र देने की दिनांक पर उपलब्ध अनुदान /विनियोग | आवेदन पत्र देने की दिनांक पर उपलब्ध बचत | संक्रमित की जाने वाली धनराशि | वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि | संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/ विनियोग (2-5) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-106-सिविल रक्षा-03 राज्य मुख्यालय स्थापना-0302-भारत सरकार द्वारा आंशिक रूप से प्रतिपूर्ति किये जाने वाला व्यय 25 प्रतिशत (207000106030201) | | | | | |
| 01 वेतन | 250.20 | 206.45 | 200.00 | 200.00 | 50.20 |
| **योग---** | **250.20** | **206.45** | **200.00** | **200.00** | **50.20** |

| निम्नलिखित में प्रस्तावित संक्रमण | | | | वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा | |
|---|---|---|---|---|---|
| लेखा शीर्षक | वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/ विनियोग | वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय | संक्रमित हेतु प्रस्तावित धनराशि | वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि | संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/ विनियोग (8+11) |
| **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-106-सिविल रक्षा-03 राज्य मुख्यालय स्थापना-0302-भारत सरकार द्वारा आंशिक रूप से प्रतिपूर्ति किये जाने वाला व्यय 25 प्रतिशत के मानक मद -58 आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान ( 207000106030258) | 200.00 | 400.00 | 200.00 | 200.00 | 400.00 |
| **योग-** | **200.00** | **400.00** | **200.00** | **200.00** | **400.00** |

**1- स्तम्भ-3 में बचत का कारण-**अधिकारियों/कर्मचारियों के रिक्त पदों के कारण ।

**2- स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित व्यय का कारण-**

नागरिक सुरक्षा निदेशालय, केन्द्रीय नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान तथा समस्त जनपदीय

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

इकाईयों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से तैनात वाहन चालक, सुरक्षा गार्ड एवं बहुउद्देशीय कर्मियों/ चतुर्थ श्रेणी कर्मियों के वेतन के भुगतान हेतु।

3- यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुर्विनियोग में उ०प्र० बजट मैनुअल के प्रस्तर-150, 151 एवं 154 में निर्दिष्ट प्रतिबंधों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

**आर.ई.संख्या- बजट-1-72-ई-12-204-एक्स-2026-27 दिनांक 21.08.2026**

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)

प्रथम, उ०प्र०, प्रयागराज।

(मनोज कुमार राय)
विशेष सचिव।

(अरूण कुमार)
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकादरी) प्रथम/द्वितीय/ऑडिट, उ0प्र0, प्रयागराज ।

2- महालेखाकार (लेखा एवं परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज ।

3- निदेशक, नागरिक सुरक्षा, उ०प्र०, लखनऊ ।

4- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।

5- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12, उत्तर प्रदेश शासन ।

7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन । (03 प्रतियों में) ।

8- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

मनोज कुमार राय

विशेष सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

shasanadesh.up.gov.in

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।